उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-37/2015/1221/26-3-2015-4(20)/2015

लखनऊः दिनांकः 29 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञाप

श्री मनीष वर्मा प्रपौत्र श्री पदम सिंह वर्मा, निवासी-ए-77 ट्रान्स यमुना कालोनी, रामबाग, तहसील एत्मादपुर, आगरा द्वारा मण्डलीय, अपीलीय फोरम, आगरा के निर्णय दिनांक-26.11.2014 के विरूद्ध राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी के समक्ष अपील दिनांक-21.01.2015 प्रस्तुत करते हुये स्वयं को मंझवार अनुसूचित जाति का सदस्य बताते हुये मण्डलीय अपीलीय फोरम, आगरा के निर्णय दिनांक-26.11.2014 को निरस्त किये जाने की मांग की गयी।

2- श्री मनीष वर्मा एवं श्री पदम सिंह वर्मा द्वारा राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील दिनांक-21.01.2015 के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुशीलन से यह स्थिति प्रकाश में आयी कि तहसीलदार, एत्मादपुर-आगरा द्वारा श्री मनीष वर्मा पुत्र श्री अरविन्द कुमार वर्मा का मंझवार अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी आवेदन पत्र संख्या-15003130008845 निरस्त करने के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-2362/2014 श्री मनीष वर्मा आदि बनाम् उ0प्र0 राज्य व योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-16.01.2014 को निम्नवत् आदेश पारित किया गयाः-

Having heard the learned counsel for the petitioner, the Court finds that the petitioner has filed an appeal against the rejection of his application for grant of a caste certifcate. In the light of the aforesaid, this writ petition is disposed of directing the appellate authority to decide the appeal of the petitioner by a reasoned and speaking order within three months from the date of the production of a certified copy of this order after hearing all parties concerned.

3- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-16.01.2014 के क्रम में श्री मनीष वर्मा पुत्र श्री अरविन्द कुमार वर्मा के बाबा श्री पदम् सिंह द्वारा जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी के समक्ष प्रत्यावेदन दिनांक-28.04.2014 प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक-28.04.2014 को आहूत जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी की बैठक में समिति ने यह पाया कि राजस्व निरीक्षक खन्दौली, तहसील एत्मादपुर की आख्या दिनांक 28.05.2013 में श्री मनीष वर्मा पुत्र श्री अरविन्द वर्मा की जाति निषाद/मल्लाह पायी गयी न कि मंझवार जाति। इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य, क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स इन्टर कालेज, आगरा के पत्र दिनांक 19.06.2014 में श्री मनीष वर्मा की सगी बहन चेतना वर्मा की डूप्लीकेट टी0सी0 में निषाद जाति अंकित पाया गया तथा प्रधानाचार्य द्वारा यह भी पुष्टि की गयी कि कु0 चेतना वर्मा को वर्ष 2007-08, वर्ष 2008-09, वर्ष 2009-10 में पिछडे वर्ग के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। दिल्ली पब्लिक स्कूल, आगरा के प्रबन्धक के पत्र दिनांक 24.06.2014 में श्री मनीष वर्मा को अन्य पिछडे वर्ग का बताया गया है। याची श्री मनीष वर्मा के बाबा श्री पदम सिंह वर्मा की सेवापुस्तिका की फोटो प्रति में भी उनकी जाति मल्लाह पायी गयी। अतएव जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी, आगरा ने अपीलार्थी श्री मनीष वर्मा व उनके बाबा श्री पदम सिंह वर्मा को मंझवार अनुसूचित जाति का सदस्य न पाते हुये अपने आदेश दिनांक-26.07.2014 द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक-28.04.2014 निरस्त कर दिया गया।

4- जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी, आगरा के उक्त निर्णय दिनांक-26.07.2014 के विरूद्ध श्री मनीष वर्मा एवं श्री पदम सिंह वर्मा द्वारा आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय अपीलीय फोरम, आगरा मण्डल, आगरा के समक्ष अपील दिनांक-23.09.2014 प्रस्तुत की गयी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त अपील के सम्बन्ध में विचार किये जाने हेतु मण्डलीय अपीलीय फोरम, आगरा की बैठक दिनांक-14.10.2014 को सम्पन्न हुयी। उक्त समिति में याची श्री मनीष वर्मा के बाबा श्री पदम् सिंह वर्मा द्वारा फोरम के समक्ष अपने बचाव में निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश संख्या-5217/33-74/23, दिनांक-18.03.1975 की प्रति रिट याचिका संख्या-42794/2002 श्रीमती शशिलता बनाम अधिक्षण अभियन्ता एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-03.01.2005, उ0प्र0 ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्धक समिति नियम संग्रह वर्ष 1991, भारत की जनगणना 1961 के एपेन्डिक्स पार्ट-1 में संलग्न जनगणना की सूची में अंकित जातियों के नाम के उद्धरण की प्रति, श्रीमती कंचन देवी केशवानी, पार्षद नगर निगम, आगरा वार्ड संख्या-84, दिनांक-23.05.2014 द्वारा याची के पक्ष में निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रति इत्यादि अभिलेख साक्ष्य रूप में प्रस्तुत किये गये।

मण्डलीय अपीलीय फोरम, आगरा ने अपने संवीक्षण में यह पाया कि अपीलार्थी श्री मनीष कुमार वर्मा व उसके बाबा श्री पदम सिंह वर्मा द्वारा जो उपरोक्त साक्ष्य फोरम के समक्ष प्रस्तुत किये गये वह मल्लाह अन्य पिछड़े वर्ग की जाति के सम्बन्ध में दिया गया है न कि मंझवार अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में पाये गये।

6- मण्डलीय अपीलीय फोरम, आगरा ने अपने संवीक्षण में यह पाया कि अपीलार्थी श्री मनीष वर्मा पुत्र श्री अरविन्द कुमार वर्मा ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, आगरा के एडमिशन फार्म संख्या-2010110680, रजिस्ट्रेशन संख्या-424 में दिनांक-30.03.2010 में अपने को अन्य पिछड़े वर्ग का बताया गया। इसी प्रकार याची की सगी बहन कु0 चेतना वर्मा के टी0सी0 दिनांक-19.06.2014 में जाति एवं धर्म के कालम में निषाद हिन्दू लिखा पाया गया तथा वर्ष 2007-08, वर्ष 2008-09 व वर्ष 2009-10 में कालेज की सूची में कु0 चेतना वर्मा द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग की जाति के रूप में छात्रवृत्ति प्राप्त की गयी। समाज कल्याण कार्यालय, आगरा के पत्रांक-779-82/स0क0/जाति/जांच/2014-15, दिनांक-13.06.2014 के क्रम में प्रधानाचार्य, क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स इन्टर कालेज, आगरा के पत्र दिनांक 19.06.2014 में मनीष वर्मा की बहन चेतना वर्मा की जाति निषाद बतायी गयी। श्री मनीष वर्मा के बाबा श्री पदम सिंह वर्मा की सेवा पुस्तिका में उनकी जाति मल्लाह अन्य पिछडे वर्ग की पायी गयी। नायब तहसीलदार, एत्मादपुर आगरा की आख्या दिनांक-20.06.2014 व उसके साथ स्थानीय लोगों के संलग्न बयान में श्री पदम सिंह पुत्र श्री नौबत सिंह की जाति निषाद जिसे मल्लाह भी कहते है, जो कि उ0प्र0 की अन्य पिछडे वर्ग की सूची के क्रमांक-5 पर अधिसूचित है, पायी गयी। मण्डलीय अपीलीय फोरम ने अपने उक्त विवेचन में अपीलार्थी श्री मनीष कुमार वर्मा एवं श्री उसके बाबा श्री पदम सिंह वर्मा को मल्लाह अन्य पिछडे वर्ग की जाति का पाते हुये उनकी अपील दिनांक-23.09.2014 निरस्त करते हुये निस्तारित की गयी ।

7- मण्डलीय अपीलीय फोरम, आगरा के उक्त निर्णय दिनांक-26.11.2014 के विरूद्ध राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष अपील दिनांक-21.01.2015 प्रस्तुत की गयी है। उक्त अपील पर विचार के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी की बैठक की तिथि दिनांक-16.04.2015 निर्धारित करते हुये अपीलार्थी को सूचना देते हुये पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे। राज्य स्तरीय स्कूटनी कमेटी की बैठक दिनांक-16.04.2015 को सम्पन्न हुयी जिसमें श्री मनीष कुमार वर्मा के बाबा श्री पदम सिंह वर्मा उपस्थित हुये। राज्य स्तरीय स्कूटनी कमेटी ने उनके पक्ष को सुना। श्री पदम सिंह वर्मा द्वारा सुनवाई के समय राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी के समक्ष अपने जाति प्रमाण पत्र दिनांक-04.12.1991 एवं अपने पुत्र श्री अरविन्द कुमार वर्मा को निर्गत मंझवार जाति का जाति प्रमाण पत्र दिनांक-05.12.1991 व श्री यशपाल सिंह जाति प्रमाण पत्र दिनांक-07.01.1991 की प्रतियां तथा पार्षद नगर निगम द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं उ0प्र0 ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्धक समिति नियम संग्रह वर्ष 1991, भारत की जनगणना 1961 के एपेन्डिक्स पार्ट-1 में संलग्न जनगणना की सूची में अंकित जाति का विवरण इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत किये गये।

8- राज्य स्तरीय समिति ने प्रकरण के विशलेषण में यह पाया कि अपीलार्थी श्री मनीष कुमार वर्मा एवं उसके बाबा श्री पदम सिंह वर्मा द्वारा जो अभिलेख साक्ष्य रूप में कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये गये वह पूर्व में मण्डलीय अपीलीय फोरम, आगरा के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, जिसे मण्डलीय अपीलीय फोरम,आगरा ने अपने निर्णय दिनांक-26.11.2014 द्वारा निरस्त करते हुये निस्तारित कर दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा राज्य स्तरीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष कोई नवीन साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जा सका, जो मण्डलीय अपीलीय फोरम, आगरा के उक्त निर्णय दिनांक-26.11.2014 की प्रकृति को परिवर्तित किया जाय।

अतएव राज्य स्तरीय स्कूटनी कमेटी तदनुसार अपीलार्थी श्री मनीष वर्मा एवं श्री पदम सिंह की संयुक्त रूप में प्रस्तुत अपील दिनांक-21.01.2015 को उपरोक्तानुसार एतदद्वारा निस्तारित करती है।

सुरेन्द्र विक्रम निदेशक, निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ	केदार नाथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्0, लखनऊ	सुनील कुमार प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी उ0प्र0 शासन

<u>पृ0संख्या-37/2015/1221 (1)/26-3-2015 तददिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल आगरा।
2. जिलाधिकारी, आगरा।
3. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
4. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
6. श्री मनीष वर्मा एवं श्री पदम सिंह वर्मा, निवासी-ए-77 ट्रान्स यमुना कालोनी, रामबाग, तहसील एत्मादपुर, आगरा।
7. गार्ड फाईल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।